भारतीय संविधान के संदर्भ में भाषाएं : विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० अश्वनी

सहा0 प्रोफे0, दूर शिक्षा निदेशालय

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी, हैदराबाद, भारत ।

Email: ashwani2tanwar@yahoo.co.in

सारांश

भाषा एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन है। भाषा की भूमिका को हम अच्छी तरह सामाजिक विकास के संदर्भ में समझ सकते है। समाज में भाषा की भूमिक सूक्ष्म और दीर्घ दो तरह की होती है। सूक्ष्म स्तर पर भाषा व्यक्तिगत स्तर पर है व वृहत स्तर पर भाषा पूरे समाज के लिए होती है। भाषा व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध का सबसे बड़ा साधन है। किसी न किसी तरह कि भाषा नीति हर समाज में काम करती ह। कुछ देशो में संविधान के द्वारा भाषा नीति बनाई गई है तो कुछ देशों में भाषा नीति पंरपरा के आधार पर चल रही है। भाषा नीति की सक्रिय भूमिका के क्षेत्र घर, स्कूल, धर्म, प्रशासनिक कार्यक्षेत्र इत्यादि रहते हैं। किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा किसी भी भाषा या भाषाओं के प्रयोग के लिए जो भी सिद्धांत अपनाये जाते है वो भाषायी संबंधी नीति होती है।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में भाषाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधान

संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है जिसमें अनुच्छेद 29,30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से है।

अनुच्छेद 29– अल्पसंख्यक वर्गो के हितों का संरक्षण–

(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हैं, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30 – शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार–

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा किवह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के

प्रबंध में है।

संविधान के भाग 4 क मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51क में कहा है कि (ड़) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातष्त्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ–भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210 में विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान–मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

भाग 22 अनुच्छेद 394 क – हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ –

(1) राष्ट्रपति –

(क) इस संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसे प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उसमें सम्मिलित करते हुए, तथा

(ख) अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को, अपने प्राधिकार कराएगा।

(2) खंड (1) के अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है और यदि ऐसे अनुवा के किसी भाग का इस

प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनरीक्षण कराएगा।

(3) इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद, सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकष्त पाठ समझा जाएगा।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों में 6 में कहा है कि – प्राथमिक विद्यालय आदि स्थापित करने की जिला परिषद की शक्ति– स्वशासी जिले की जिला परिषद, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, फेरी, मीन क्षेत्रों, सड़क परिवहन और जल मार्गो की स्थापना, निर्माण और प्रबंध कर सकेगी तथा राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, उनके विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी और, विशिष्टतया, वह भाषा और वह रीति विहित कर सकेगी, जिससे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी।

भारतीय संविधान के भाग 17 का अध्ययन करने के बाद हमें भारत में विभिन्न भाषाओं की स्थिति का आभास होता है विशेषकर भारत के संघीय ढांचे में शिक्षा किस माध्यम में दी जाएं और प्रशासनिक कार्य किन भाषाओं में किया जा सकताहै, इसका स्पष्ट विवरण भारतीय संविधान में मिलता है।

संघ की भाषा

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा.–(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा–

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति.–

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को–

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ड़) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय,के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।

प्रादेषिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं.– अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.–

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगीः

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध.–

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.–

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक–

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाशा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान–मंडल ने, उस विधान–मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशो में अथवा उस उपखंड के पैरा में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित

अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.–

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा–

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350–क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं–

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350–ख. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.–

(1) भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विषेश अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश.–

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की

अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। सन 1967 में सिंधी भाषा को अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। 2008 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को शामिल किया गया है।

1 असमिया 2 उड़िया 3 उर्दू 4 कन्नड़ 5 कश्मीरी 6 कोंकणी 7 गुजराती 8 डोंगरी 9 तमिल 10 तेलुगू 11 नेपाली 12 पंजाबी 13 बांग्ला 14 बोड़ो 15 मणिपुरी 16 मराठी 17 मलयालम 18 मैथिली 19 संथाली 20 संस्कष्त 21 सिंधी 22 हिंदी।

हिंदी को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को दिया था। इसके लिए संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किए गए हैं।

मूल्यांकन

- भारतीय संविधान की उद्देशिका के अध्ययन में ही हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता जैसे शब्दों से आभास होता है कि इसमें भारत में भाषाओं की विभिन्नता को भी ध्यान में रखा गया है।
- भारतीय संविधान में दिये गए प्रावधानों से पता चलता है कि संविधान बहुभाषीय स्वरूप को मानता है। सभी भाषाओं के विकास और शिक्षा के माध्यम के तौर पर भी भारत की सभी भाषाओं को मान्यता दी गई हैं। मानवीय प्रकृति को ध्यान में रखकर भाषा के द्वारा मानवीय विकास के अवसर प्रदान किए गये हैं।
- भारतीय संविधान के प्रावधानों में सभी भाषाओं के कार्य व विकास को चाहें वह बड़ी व छोटी भाषा हो ध्यान में रखा गया है। भारतीय संविधान देश की बहुभाषायी विशेषता व विविधता को बनाये रखता है। इसी संदर्भ में भारत में भाषाओं का बहुलवादी स्वरूप है।
- भारत में भाषा नीति संविधान को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शैक्षिक नीतियां बहुभाषी व बहुलवादी स्वरूप को ध्यान में रखती हैं। केवल इन भाषा संबंधी शैक्षिक नीतियों के कार्यान्वयन में दिलचिस्पी दिखाई नहीं देती है जो कि समस्या का मुख्य कारण है।
- संवैधानिक प्रावधानों में संघ की राजभाषा हिंदी को बनाया गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों व संघ के कार्योलयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा को वास्तविक तौर राजभाषा का अधिकार नहीं मिला है।
- भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान

किया गया है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इस तरह के प्रावधानों से ये पता चलता है कि संविधान द्वारा अल्पसख्यकों के भाषायी हितों व अधिकारों को ध्यान में रखकर विकास को सुनिश्चित किया गया हैं।

- भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिये गये है जिससे हिंदी भाषा का प्रसार व विकास हो जो कि भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें। इस तरह हिंदी भाषा को एक सांस्कृतिक व सामाजिक एकता के प्रतीक के तौर पर अन्य भाषाओं के विकास के साथ महत्व दिया गया है।
- भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस प्रावधान से सभी बच्चों तक उनकी भाषा में शिक्षा पहुंच सकती है। इस तहर भाषा के आधार पर भी मानवीय विकास को ध्यान में रखा गया है।
- भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा व समस्या के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार रखता है। इस तरह भाषायी सरलता को जीवन यापन से जोड़ा गया है और भाषा के आधार पर किसी को भी अपनी परेशानी बताने में दिक्कत नहीं होगी।
- राज्यों को उचित संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने प्रशासनिक कार्यो के लिए क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग कर सकते है। इससे राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शासकीय कार्य करने का मौका मिलता है।
- भारतीय संविधाान में राजभाशा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति के गठन का प्रावधान है जो कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग व राज्य व संध के बीच पत्रादि की भाषा पर सिफारिशें दे सकता है। ये समिति व आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

संदर्भ

1. लाल, रमन बिहारी, *हिंदी शिक्षण,* रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
2. नरूला, मधु, *हिंदी शिक्षण,* टवेंटी फर्स्ट सेंचुरी पब्लिकेशन्स, पटियाला।
3. ईस्टर्न बुक कम्पनी (1997), *'भारत का संविधान'*, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ। सफाया, रघुनाथ, *हिंदी शिक्षण विधि,* पंजाब किताब घर, जालंधर।
4. मुकर्जी, संध्या, *भाषा शिक्षण,* प्रकाशन केंद्र, लखनऊ।
5. पाण्डेय, रामशकल, *हिंदी शिक्षण,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
6. क्षत्रिया, के., *मातृभाषा शिक्षण*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

7. सिंह, निरंजन कुमार, *माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण*, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
8. भाई योगेन्द्रजीत, *हिंदी भाषा शिक्षण*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
9. सिंह, सावित्री, *हिंदी शिक्षण*, गया प्रसाद एण्ड संस, आगारा।